न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 26/2025

प्रार्थी

श्री देवाराम पुत्र श्री पोमाजी, जाति–रेबारी, निवासी–अनादरा, तह. रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत अनादरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही जरिये प्रशासक

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी (निगरानीकार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी (निगरानीकार) की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.अ./2024–25/126 दिनांक 11–12–2024 व नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.अ./2024/160 दिनांक 12–2–2025 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की दिनांक 10–6–2025 को बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी, ग्राम अनादरा के रेबारीवास में आबादी भूमि में उसके पूर्वज के समय से एवं उनके पूर्वज के बाद अब प्रार्थी उसी पुश्तैनी भूमि पर निवास करता आ रहा है, प्रार्थी के पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का मकान बना हुआ हैं एवं प्रार्थी के भाई वनाराम का भी खण्डहर मकान आया हुआ है। प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि में से पूर्व में हीराराम पुत्र मुलाजी माली को कुछ भाग बेचान कर दिया था उस भाग को प्रार्थी ने अपनी पत्नी पदमा देवी के नाम से दिनांक 3–01–2022 को पुनः खरीद लिया है। प्रार्थी द्वारा अपने पट्टेशुदा व खरीदशुदा भूमि को निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ABCDEFGH से अंकित किया है, उक्त भूमि प्रार्थी एवं उसके भाई वनाभाई एवं माली हीराजी, भीमाजी से खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूखंड है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का परिवार निवास करता आया हैं एवं प्रार्थी के अलावा वर्तमान में आज इस भूमि पर कोई निवास नहीं करता है। प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी व खरीदशुदा भूमि में जाने के लिए GF मार्क अंकित है, उक्त GF मार्क पर प्रार्थी ने आज से करीब दो साल पूर्व दरवाजा /फाटक लगाया है ताकि गली से कोई हिंसक जानवर व आवारा पशु प्रार्थी की भूमि में आकर कोई जनहानि कारित नहीं कर दे। प्रार्थी के उक्त भूमि के पड़ोस में माली मफतभाई का मकान आया हुआ था, जिसे 5 माह पूर्व दीपाराम पुत्र श्री प्रागारामजी कलबी द्वारा खरीदना जानकारी में आया है, पूर्व में मफतभाई माली के मकान के पश्चिम दिशा में कोई गली व भूमि नहीं है और नहीं मार्क G से H की तरफ कोई गली या भूमि थीं लेकिन दीपाराम द्वारा उक्त भूमि खरीदने के बाद अब जबरन येन केन प्रकारेण प्रार्थी के खरीदशुदा एवं पुश्तैनी भूमि में कब्जा करना चाहता है इस कारण दीपाराम द्वारा झूठी शिकायत प्रार्थी के विरुद्ध की है दीपाराम ने प्रार्थी के विरुद्ध जन सुनवाई प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया जिस पर अप्रार्थी द्वारा बिना जांच पड़ताल, बिना कोई प्रस्ताव लिए अपनी मनमर्जी से पंचायती राज कानून की विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर प्रार्थी के विरुद्ध

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

दिनांक 11/12/2024 को नोटिस जारी कर प्रार्थी के दरवाजे को हटाया जाने के आदेश किये है, जो सरासर गलत हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11/12/2024 का जवाब अप्रार्थी को दिनांक 16/12/2024 को पेश किया, लेकिन अप्रार्थी द्वारा उक्त जवाब को नहीं मानकर दीपाराम का पक्ष लेकर दुबारा नोटिस दिनांक 12/02/2025 को भेजकर प्रार्थी को यह आदेशित किया है कि प्रार्थी के फाटक को हटा दिया जाये, नहीं तो प्रार्थी की सम्पति सुरक्षा में लगी फाटक को धारा 110 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हटा दिया जायेगा, उक्त नोटिस का जवाब भी प्रार्थी द्वारा सहीं तथ्यों के साथ दिनांक 18/2/2025 को अप्रार्थी को पेश कर दिया, लेकिन दीपाराम का पक्ष लेकर येन केन प्रकारेण प्रार्थी की सम्पति की सुरक्षा में लगे दरवाजे /फाटक को हटवाये जाने की धमकी दे रहे है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा कोई विधि के विपरीत कार्य नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शे में वर्णित मार्क G से F की भूमि के पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति नहीं रहता है और नहीं उक्त भूमि शामलाती हैं और नहीं G से F मार्क की भूमि पश्चिम दिशा में रास्ते में खुलती है। उक्त दीपाराम कलबी द्वारा द्वेष भावना से प्रार्थी के झूठी शिकायत कर रहा है और अप्रार्थी उसका पक्ष ले रहा हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 11–12–2024 व 12–02–2025 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी देवाराम पुत्र पोमाजी रेबारी, निवासी– अनादरा के विरुद्ध नोटिस क्रमांकः 126 दिनांक 11–12–2024 को इस आशय का जारी किया गया है कि इनके (प्रार्थी) द्वारा आम रास्ते में लोहे का गेट लगाकर अतिक्रमण किया गया है, रास्ता आने जाने सुविधा के लिये है, इसलिये रास्ते से अतिक्रमण हटकार पंचायत को सूचित करे, अन्यथा पंचायत द्वारा हटाया जायेगा। इसी तरह, ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस क्रमांक 160 दिनांक 12–2–2025 को इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी द्वारा शामालती रास्ते में अवैध तरीके फाटक लगाकर रास्ता अवरुद्ध किये किया है, इसलिये रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया जायेगा।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में, ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा माली हीरा, भीमा पुत्र मुलाजी, निवासी–अनादरा को जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23–11–1964 की छाया प्रति तथा नवाराम, चेताराम, रगाराम पिता हीराजी, जाति– माली, निवासी– अनादरा द्वारा पदमादेवी पत्नी देवाराम, जाति– रेबारी, निवासी–अनादरा के पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 15 की भूमि में से उनके हक हिस्से की भूमि के संबंध में निष्पादित नोटेरी सत्यापित बेचान ईकरार नामा दिनांक 03–01–2022 की छाया प्रति व वजाराम, नगाराम, लखाराम पिता भीमाराम, जाति–माली, निवासी–अनादरा द्वारा पदमा देवी पत्नी देवाराम, जाति– रेबारी, निवासी– अनादरा के पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 15 दिनांक 23–11–1964 की भूमि में से उनके हक हिस्से की भूमि के संबंध में निष्पादित नोटेरी सत्यापित बेचान इकरारनामा दिनांक 15–12–2020 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। जबकि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सोपला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही